न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 556/2018

1. गणेश पुत्र श्री कल्याण
2. मन्ना लाल पुत्र श्री कल्याण
3. हरनाथ पुत्र श्री ईशरा
4. श्रीमती छोटी पत्नि स्व. श्री हरिनारायण
5. सन्नी उर्फ सुनील पुत्र श्री हरिनारायण
   समस्त जाति मीणा, निवासीः ग्राम देवकीनन्दनपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
6. गीता पुत्री स्व. श्री हरिनारायण नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती छोटी देवी जाति मीणा, निवासीः ग्राम देवकीनन्दनपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
7. शंकरलाल पुत्र श्री गोपी
8. जगदीश पुत्र श्री गोपी
9. श्रीमती भोली बेवा स्व. श्री कालूराम
10. नानगराम पुत्र स्व. श्री कालूराम
11. अर्जुन पुत्र स्व. श्री कालूराम
12. कैलाश पुत्र श्री गोपी
    समस्त जाति मीणा, निवासीः ग्राम देवकीनन्दनपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. बाबू पुत्र श्री भूरा जाति मीणा, निवासीः ग्राम देवकीनन्दनपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
2. प्रहलाद पुत्र श्री भूरा जाति मीणा, निवासीः ग्राम देवकीनन्दनपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
3. सीताराम पुत्र श्री भूरा जाति मीणा, निवासीः ग्राम देवकीनन्दनपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
6. रामगोपाल पुत्र रामनारायण मीणा, निवासीः ग्राम बाढ चेला, जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर वाद संख्या 321/2017 उनवानी बाबू बनाम प्रहलाद व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री रघुवीर सिंह राठौड एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री संजय जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल 3
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 28.02.2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

–: निर्णय :–

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के वाद संख्या 321/2017 बउनवानी बाबू बनाम प्रहलाद व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 25.06.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खाता संख्या 02 के खसरा नंबर 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 59, 60 एवं 64 रकबा 0.32 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 8.17 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 03 के खसरा नंबर 01, 02, 03, 45/352, 50, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 78 लगायत 99, 101, 102, 104, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122 एवं 123/353 रकबा 0.09 कुल किता 53 कुल रकबा 17.836 हैक्टेयर वाके ग्राम देवकीनन्दपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार चला आ रहा है तथा सभी पक्षकार मौके पर बाहमी बंटवारा करके काश्त करते चले आ रहे है तथा लगान सरकार में शामिल में ही अदा करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी का अभी तक विधिवत तकासमा नहीं हुआ है यानि भूमि शामलाती में ही दर्ज चली आ रही है। पक्षकारान मौके पर बाहमी बंटवारा करके काश्त करते चले आ रहे है तथा अपनी अपनी उपज का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी ने अपने हिस्से की आराजी में उर्वरक खाद आदि डालकर अत्यधिक उपजाऊ बना रखा है जिससे वादी के हिस्से में प्रतिवादीगण के हिस्से के मुकाबले अधिक पैदावार होने से प्रतिवादीगण वादीगण को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से आये दिन वादी के हिस्से में दखल करते है तथा कच्चा पक्का निर्माण करने पर उतारू हो जाते है तथा वादी के द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू हो जाते है जिससे वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह अपने हक व हिस्से का विधिवत तकासमा करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे जिसके वादी कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादीगण की धमकी व कार्यप्रणाली को देखते हुये वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वो विवादित आराजी में अपने हक व हिस्से का बाहमी तकासमा करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवा दे कि वो वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी एवं मजाहमत उत्पन्न नहीं करे न ही भूमि का बेचान करे, न ही अन्य से करावे तथा बिना तकासमा किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि खाता संख्या 02 के खसरा नंबर 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 59, 60 एवं 64 रकबा 0.32 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 8.17 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 03 के खसरा नंबर 01, 02, 03, 45/352, 50, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 78 लगायत 99, 101, 102, 104, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122 एवं 123/353 रकबा 0.09 कुल किता 53 कुल रकबा 17.836 हैक्टेयर वाके ग्राम देवकीनन्दपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में वादी के अपने हक व हिस्से का कब्जे व मौका स्थिति अनुसार तकासमा किया जावे तथा इसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

करवाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त के हिस्से की भूमि में किसी तरह की दखलअंदाजी नहीं करे, न ही भूमि का बेचान करे, न ही भूमि को रहन रखे, न ही स्वयं करे, न ही किसी अन्य से करावे तथा बिना तकासमा किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 12.04.2018 द्वारा वादी वाद प्राथमिक डिक्री कर आराजीयात का राजस्व मंडल के नियमानुसार तकासमा कर कुरैजात न्यायालय में पेश करने हेतु तहसीलदार चाकसू को आदेशित किया। जिस पर तहसीलदार चाकसू द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कुरैजात प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुरैजात पर बहस सुनकर अपने अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 25.06.2018 के द्वारा मुताबिक कुरैजात पक्षकारान के मध्य विभाजन कर अलग से खाता कायम किये जाने की अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा समस्त सहखातेदारान को पक्षकार कायम नहीं किया गया है एवं हिस्सा भी गलत वर्णित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिये थे कि राजस्व मंडल के नियमानुसार पक्षकारान की उपस्थिति में कुरैजात तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे किन्तु तहसीलदार द्वारा मनमर्जी से ही कुरैजात रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुरैजात रिपोर्ट का परीक्षण किये बिना ही गलत व विधि विरूद्व अंतिम डिक्री पारित की है। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अनावश्यक प्रकरण को लंबित रखने के लिये ही यह अपील प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के नियमानुसार एवं अपीलान्ट की प्रारंभिक आपत्तियों का निस्तारण करते हुये सही अंतिम निर्णय डिक्री पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2018 को प्राथमिक डिक्री कर दिनांक 25.06.2018 को अंतिम निर्णय व डिक्री कर पक्षकारान के मध्य तकासमा किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्राथमिक निर्णय डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत न कर मात्र अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2018 से पूर्णतः सहमत है इसलिये अपीलार्थी द्वारा अपील में प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री के अवैध व शून्य होने के तथ्यों का अंकन निराधार व असत्य होने से ग्राह्य योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट दिनांक 01.06.2018 व नक्शा शीट को देखने से स्पष्ट है कि कुरैजात रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर उपस्थिति स्वरूप अपने हस्ताक्षर कर उभयपक्षकारान को सूचित कर, राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पूर्णतः पालना करते हुये निर्मित किये गये है जिससे अपीलार्थी के कथन कि कुरैजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा .स्वयं मौके पर उपस्थित होकर नहीं बनाई गई है, के तथ्य निराधार पाये जाते है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट राजस्व मंडल के नियमानुसार सही निर्मित किये गये है। साथ ही यहां यह भी विवेचन करना उचित होगा कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत भूमि में माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश जिला जयपुर का हरलाल पुत्र ईसरा हिस्सा 1/5 की 8 बीघा भूमि का छोटूराम पुत्र पांचूराम मीणा सा.रायपुरिया खुर्द के अलावा किसी अन्य का बेचान नहीं करने का दिनांक 31.01.2007 से स्थगन होने के तथ्य वर्णित किये गये है। वर्तमान में उक्त स्थगन आदेश बाबत अपीलान्ट द्वारा कोई भी दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं यदि स्थगन आदेश वर्तमान में चल भी रहा हो तो अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि के अन्य सहखातेदारान की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत भूमि को मात्र विभाजित किये जाने का अनुतोष प्रदान किया है। अपीलाधीन आदेश से हरनाथ पुत्र ईसरा के हक अधिकार में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है मात्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हरलाल पुत्र ईसरा की भूमि को विभाजित करते हुये अलग खाता नंबर कायम किये गये है जिससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश से माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश जिला जयपुर के स्थगन आदेश के प्रभाव में कोई परिवर्तन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पूर्णतः पालना करते हुये अंतिम निर्णय व डिक्री सही पारित किया गया है जिसमें मेरे विनम्र मत अनुसार कोई त्रुटि नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 25.06.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner